बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

संकल्प संख्या–भवन / 10–परिवाद(आरा)–27 / 2024...................../ पटना, दिनांक–

:: सकल्प ::

श्री अशोक कुमार पाण्डेय, बिहार अभियंत्रण सेवा, सिविल लिस्ट क्रमांक–50 / 2024, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित किया गया है :–

(i) बिना वन विभाग की स्वीकृति को हरे शीशम वृक्ष की काटाई कर बिक्री की गयी है।

(ii) निविदा पत्र खरीदने के लिए ओ–ग्रास या डी0डी0 न लेकर नगद राशि ली गयी, जिससे इनके चहेते संवेदकों को कार्य मिल सके एवं सरकारी राजस्व की क्षति पहुँची।

(iii) वित्तीय वर्ष, 2022–23 में ₹2,50,000 / –एवं उससे कम राशि का निविदा कर बिना समाचार पत्रों में प्रकाशन किये चहेते संवेदको से मोटी रकम लेकर कार्य कराया गया है।

2. विभागीय पत्रांक–7568(भ0)अनु0 दिनांक–12.08.2025 द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी। तदोपरान्त श्री पाण्डेय के पत्रांक–1481 दिनांक–22.10.2025 द्वारा बचाव अभिकथन (स्पष्टीकरण) समर्पित किया गया।

3. श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी। जिसका मुख्य बिन्दु निम्नवत है :–

i. आरोप–01 में वृक्ष का मूल्यांकन की राशि एवं सरकारी राजस्व खाता में जमा की गयी राशि का कोई व्योरा अंकित नहीं किया गया है साथ ही इस मामले में भी कार्यपालक अभियता को वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जानी चाहिए थी, जो नहीं किया गया है।

ii. आरोप–02 के संबंध में इनके द्वारा नियमों का अनुपालन उचित ढ़ंग से नहीं किया गया है।

iii. आरोप–03 में अंकित तथ्यों के समर्थन में कोई भी साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

उपरोक्त कारणों से श्री पाण्डेय से प्राप्त स्पष्टीकरण (बचाव अभिकथन) को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता एवं घोर वित्तीय अनियमितता को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है। जिसमें मुख्य अभियंता (उत्तर) को संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री पाण्डेय को निदेश दिया जाता है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष बचाव बयान सहित स्वयं उपस्थित हों।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(शिव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–भवन/10–परिवाद(आरा)–27/2024..................../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता (उत्तर)–सह–संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित आरोप पत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्दर सम्पन्न कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10–परिवाद(आरा)–27/2024..................../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै0दा0नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, आरा एवं जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10–परिवाद(आरा)–27/2024..................../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–श्री अशोक कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद को आरोप पत्र एवं साक्ष्य की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10–परिवाद(आरा)–27/2024..................../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा एवं गया/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा एवं जहानाबाद/सभी उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10–परिवाद(आरा)–27/2024....03(अ)..../ पटना, दिनांक– 01/01/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(signature)

सरकार के संयुक्त सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।